जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-15.05.2025**

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा धमकी देने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो दिनाँक 01.05.2025 को थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त द्वारा वादिया की पुत्री को पूर्व में लिखाया गया मुकदमा वापस लेने के लिये धमकी देने के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर तहरीर दी गयी थी। वादिया की तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनाँक 15.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा मुकदमा वापस लेने हेतु धमकी देने व दबाव बनाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अश्वनी पुत्र सतपाल निवासी ग्राम खानपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामदः-

आज दिनांक 15.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से अवैध चाकू बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.दानिश पुत्र सलीम निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.एक अदद अवैध चाकू।

थाना कैराना पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने व गर्भपात कराने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त द्वारा पीड़िता को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म व गर्भपात कराने की घटना कारित की गयी थी। घटना के सम्बन्ध में दिनाँक 14.05.2025 को पीडिता द्वारा थाना कैराना पर तहरीर दी गई। पीडिता की तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक कैराना को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 15.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने व गर्भपात कराने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सद्दाम पुत्र शमशाद निवासी ग्राम आमवाली थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>थाना कोतवाली शामली/झिंझाना/थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 15.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली/झिंझाना/थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थानो पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.सुमित पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम लांक थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.देवेन्द्र पुत्र नाथीराम निवासी मौहल्ला कानूनगोयान थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.साजिद पुत्र सानो निवासी मौहल्ला हाफिजदोस्त थाना थानाभवन जनपद शामली।

<u>थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लव्वादाउदपुर के जंगल में हुयी गौकशी की घटना में लिप्त 01 गौ-तस्कर के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

दिनांक 15.03.2025 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लव्वादाउदपुर के जंगल में प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिले की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीमे गठित की गयी थी।

इसी क्रम में दिनांक 17.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार गौकशी की रोकथाम एवं गौतस्करों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना झिंझाना व एसओजी शामली की संयुक्त कार्यवाही में थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लव्वादाउदपुर के जंगल में हुई गौकशी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त गौ-तस्कर समीर पुत्र शहजाद निवासी मौहल्ला इलाही बक्स थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को बाद मुठभेड़ उसके साथियों सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

ज्ञात हो कि उपरोक्त मामले में प्रभावी कार्यवाही करते हुए दिनांक 05.05.2025 को गौ-तस्कर इकबाल पुत्र रशीद निवासी ग्राम बसी चुन्धियारी थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए जिलाधिकारी शामली के आदेशानुसार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A) 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 के अन्तर्गत निरुद्ध किया जा चुका है।

इसी क्रम में *आज दिनांक 15.05.2025 को उपरोक्त मामले में गौ-तस्कर समीर पुत्र शहजाद निवासी मौहल्ला इलाही बक्स थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए जिलाधिकारी शामली के आदेशानुसार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A) 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 के अन्तर्गत निरुद्ध* किया गया है।

<u>SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI</u>